भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1343
सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)

रोजगार सृजन कार्यक्रम

1343. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया है और यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सीएमआईई, एनएसएसओ और आवधिक श्रमबल भागीदारी सर्वेक्षण के अध्ययन के माध्यम से रोजगार सृजन और बेरोजगारी के प्रतिशत की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। योजना की प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I-IV पर दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 27.11.2021 को 1.16 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.59 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। योजना की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-**V** पर दिया गया है।

पीएमईजीपी के तहत पिछले पांच वर्ष और चालू वर्ष (2016-17 से 2020-21 (15.11.2021 तक) के लिए वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी 994649.69 लाख रुपये है।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता है। इस योजना के तहत पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22 (02.11.2021 को) में जारी की गई केंद्रीय निधि 368494.68 करोड़ है।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत 31.10.2021 को पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए बजट आवंटन एवं जारी की गई निधियां 776884.1 लाख रुपए औरउपयोग की गई 576683 लाख रुपये है।

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (2016-17 से 2021-22 (15.11.2021 तक)) के दौरान जारी केंद्रीय निधि 3,295.94 करोड़ रुपये है।

(ग) एवं (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2018-19 और 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) एवं कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निम्नानुसार हैः

	बेरोजगारी दर (यूआर) **(%)**	कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)**(%)**
2017-18	6.0	46.8
2018-19	5.8	47.3
2019-20	4.8	50.9

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

हाल ही में सरकार ने अप्रैल, 2021 को अखिल-भारत तिमाही संस्थान आधारित सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। अप्रैल से जून 2021 की अवधि हेतु तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के प्रथम दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में 3.8 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि यह छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में यथा रिपोर्टित सामूहिक रूप से लिए गए इन नौ क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ थी जो कि 29% की वृद्धि दर को दर्शाती है।152 प्रतिशत की सर्वाधिक प्रभावी वृद्धि आईटी/बीपीओ क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में यह 22 प्रतिशत, परिवहन में यह 68 प्रतिशत तथा निर्माण में यह 42 प्रतिशत रही है।

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 06.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1343 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17 से 2021-22 (15.11.2021 को) के दौरान अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7350
2	आंध्र प्रदेश	82828
3	अरुणाचल प्रदेश	8912
4	असम	131890
5	बिहार	112056
6	यूटी चंडीगढ़	1216
7	छत्तीसगढ	100144
8	दिल्ली	4584
9	गोवा	3132
10	गुजरात*	126365
11	हरियाणा	78136
12	हिमाचल प्रदेश	48188
13	जम्मू और कश्मीर	290627
14	झारखंड	61208
15	कर्नाटक	159086
16	केरल	89460
17	लक्षद्वीप	32
18	मध्य प्रदेश	119708
19	महाराष्ट्र**	161391
20	मणिपुर	48523
21	मेघालय	13608
22	मिजोरम	28096
23	नागालैंड	43023
24	ओडिशा	120296
25	पुदुचेरी	2803
26	पंजाब	68546
27	राजस्थान	99014
28	सिक्किम	2161
29	तमिलनाडु	172292
30	तेलंगाना	73661
31	त्रिपुरा	53609
32	उत्तर प्रदेश	284931
33	उत्तराखंड	77658
34	पश्चिम बंगाल	96684
35	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	3232
	योग	2801152

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
* दमन और दीव सहित
** दादर और नगर हवेली सहित

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 06.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1343 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार में नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र.स.	राज्य	2017-18 से 2021-22 में नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या (22.11.2021 तक)
1	आंध्र प्रदेश	50,311
2	अरुणाचल प्रदेश	33
3	असम	27,248
4	बिहार	18,449
5	छत्तीसगढ	12,067
6	गुजरात	5,006
7	हरियाणा	14,468
8	हिमाचल प्रदेश	1,617
9	जम्मू और कश्मीर	5,831
10	झारखंड	16,403
11	कर्नाटक	17,785
12	केरल	26,788
13	मध्य प्रदेश	15,617
14	महाराष्ट्र	23,088
15	मणिपुर	1,049
16	मेघालय	1,189
17	मिजोरम	461
18	नागालैंड	899
19	ओडिशा	83,034
20	पंजाब	6,101
21	राजस्थान	25,187
22	सिक्किम	139
23	तमिलनाडु	5,239
24	तेलंगाना	28,915
25	त्रिपुरा	3,215
26	उत्तर प्रदेश	17,823
27	उत्तराखंड	1,457
28	पश्चिम बंगाल	12,589
	योग	422,008

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय (https://kaushalpragati.nic.in)

अनुबंध-III

लोक सभा के दिनांक 06.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1343 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(एमजीनरेगा)

सृजित मानव दिवस रोजगार-महात्मा गांधी नरेगा (2016-17 से 2021-22 के दौरान (21.11.2021 को) (लाख में)		
क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	
1	आंध्र प्रदेश	13,403
2	अरुणाचल प्रदेश	495
3	असम	3,493
4	बिहार	7,680
5	छत्तीसगढ	7,468
6	गोवा	4
7	गुजरात	2,287
8	हरियाणा	618
9	हिमाचल प्रदेश	1,553
10	जम्मू और कश्मीर	1,917
11	झारखंड	4,418
12	कर्नाटक	6,642
13	केरल	4,624
14	लद्दाख	50
15	मध्य प्रदेश	12,337
16	महाराष्ट्र	4,062
17	मणिपुरी	1,072
18	मेघालय	1,836
19	मिजोरम	1,026
20	नागालैंड	1,046
21	ओडिशा	7,216
22	पंजाब	1,420
23	राजस्थान	18,326
24	सिक्किम	203
25	तमिल नाडु	16,980
26	तेलंगाना	7,249
27	त्रिपुरा	1,938
28	उत्तर प्रदेश	13,893
29	उत्तराखंड	1,333
30	पश्चिम बंगाल	18,187
31	अण्डमान और निकोबार	14
32	दादरा और नगर हवेली	0
33	दमन और दीव	0
34	लक्षद्वीप	0
35	पुदुचेरी	42
	योग	162,833

#हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े मेल से योग न खाएं।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध-IV

लोक सभा के दिनांक 06.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1343 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजित कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों एवं व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (01.04.2014 से 15.11.2021 तक)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजित कौशल अभ्यर्थियोंकी संख्या	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या।
1	आंध्र प्रदेश	74077	80825
2	अरुणाचल प्रदेश	949	70
3	असम	3523	2857
4	बिहार	7364	8128
5	छत्तीसगढ	15668	31977
6	गोवा	2736	190
7	गुजरात	42474	17193
8	हरियाणा	11347	4016
9	हिमाचल प्रदेश	2085	2811
10	जम्मू और कश्मीर	403	10991
11	झारखंड	39130	6410
12	कर्नाटक	36	14048
13	केरल	11809	7155
14	मध्य प्रदेश	110639	60886
15	महाराष्ट्र	96877	43872
16	मणिपुर	234	7
17	मेघालय	549	110
18	मिजोरम	3240	2142
19	नागालैंड	409	294
20	ओडिशा	4475	30638
21	पंजाब	11890	7180
22	राजस्थान	7329	24251
23	सिक्किम	340	35
24	तमिलनाडु	9117	220375
25	तेलंगाना	17232	12193
26	त्रिपुरा	783	814
27	उत्तर प्रदेश	89459	56973
28	उत्तराखंड	8041	5858
29	पश्चिम बंगाल	21180	7249
30	ए एंड एन आइलैंड्स	0	4
31	चंडीगढ़	1692	6
32	दिल्ली	110	136
33	पुदुचेरी	0	418
	योग	595197	660112

स्रोतः आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

अनुबंध -V

लोक सभा के दिनांक 06.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1343 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई योजना के तहत लाभार्थी प्रतिष्ठानों, लाभार्थी कामगारों और लाभ की राशि का राज्य-वार

(27.11.2021 तक)

क्र.सं.	राज्य	ईएसटीटीएस	यूएएन	लाभ राशि (रु. में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32	368	39,77,396
2	आंध्र प्रदेश	3,012	1,06,861	77,04,13,234
3	अरुणाचल प्रदेश	9	59	3,80,640
4	असम	435	11,787	7,05,93,152
5	बिहार	895	17,483	15,35,37,731
6	चंडीगढ़	1,267	43,418	29,23,38,584
7	छत्तीसगढ़	2,268	55,461	40,41,62,106
8	दिल्ली	2,423	1,46,098	86,39,61,313
9	गोवा	437	14,419	9,26,17,097
10	गुजरात	12,331	4,43,850	2,77,07,91,308
11	हरियाणा	5,948	2,56,704	1,66,58,55,098
12	हिमाचल प्रदेश	1,693	56,552	37,40,75,845
13	जम्मू और कश्मीर	673	12,805	10,32,90,441
14	झारखंड	1,640	41,432	31,23,64,338
15	कर्नाटक	7,981	3,05,946	2,19,41,00,422
16	केरल	2,026	60,256	45,66,94,476
17	लद्दाख	12	163	8,81,593
18	मध्य प्रदेश	4,732	1,37,897	1,02,50,29,244
19	महाराष्ट्र	17,439	6,47,780	4,07,20,14,505
20	मणिपुरी	38	744	52,17,361
21	मेघालय	31	966	1,47,23,933
22	मिजोरम	12	292	41,45,796
23	नागालैंड	7	43	4,08,098
24	ओडिशा	3,155	59,123	45,64,87,022
25	पंजाब	5,229	1,19,303	90,77,32,381
26	राजस्थान	8,683	2,18,377	1,40,70,07,828
27	सिक्किम	95	2,746	2,42,27,914
28	तमिल नाडु	12,760	5,34,430	2,98,90,36,043
29	तेलंगाना	4,079	1,84,249	1,02,95,48,326
30	त्रिपुरा	130	3,091	2,89,72,879
31	उत्तर प्रदेश	9,494	2,74,206	2,10,85,80,733
32	उत्तराखंड	1,926	63,363	43,94,42,914
33	पश्चिम बंगाल	5,572	1,38,440	88,18,60,371
	सकल योग	**1,16,464**	**39,58,712**	**25,92,44,70,122**